राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(25)नाविवि/3/2006 जयपुर, दिनांकः -9 NOV 2011

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.01.2010, 3.5.2010, 13.04.2011 18.08.2011 एवं 31.10.2011 के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद्/पालिकाओं के ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी. एवं मध्यम वर्ग के मकानों पर मासिक किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण ब्याज राशि एवं शास्ति में छूट प्रदान की गई थी।

उपर्युक्त विभागीय समसंख्यक आदेशों के अन्तर्गत उक्त छूट आवेदक द्वारा संबंधित निकायों में 31.03.2012 तक आवेदन प्रस्तुत करने पर भी प्रदान किए जाने की राज्य सरकार की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(एन.एल.मीना)
शासन उप सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, नगरीय शासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप शासन सचिव प्रथम/~~द्वितीय~~/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
10. सचिव, नगर सुधार न्यास........................(समस्त)
11. रक्षित पत्रावली।

9/11/2011
शासन उप सचिव–तृतीय

Goyal Hemendra/UDH/Order/2011